2025/490

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोद जिला – सीकर

विकास योगी बनाम तहसीलदार धोद

मु.नं. 221 वर्ष 2025

किस्म मुकदमा 136 LR

आज्ञा – पत्र

दिनांक	आज्ञा – पत्र
21/07/25	प्रार्थी विकास योगी पुत्र हीरा लाल जाति जोगी निवासी ग्राम बोसाना तहसील धोद जिला सीकर द्वारा प्रस्तुत आवेदन बाबत राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नाम को दुरूस्त करने के अनुसार वाके ग्राम बोसाना पटवार हल्का बोसाना तहसील धोद जिला सीकर के खाता सं. (नया) 147 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थी के दादा के नाम की प्रविष्ठि सुन्दरनाथ पुत्र जैसानाथ दर्ज है, जो कि अशुद्ध है। जबकि प्रार्थी के दादा नाम की सही प्रविष्ठि सुण्डानाथ पुत्र जैसानाथ है। अर्थात् प्रार्थी के दादा का सही नाम सुण्डानाथ है। प्रार्थी के दादा के नाम से बने मृत्यु प्रमाण–पत्र, मतदाता पहचान–पत्र आदि की प्रस्तुत प्रतियों तथा प्रार्थी के पिता हीरालाल पुत्र सुण्डानाथ के नाम से बने आधार कार्ड प्रस्तुत प्रति में प्रार्थी के दादा के नाम की प्रविष्ठि सुण्डानाथ पुत्र जैसानाथ अंकित है, जो कि सही है। अतः उक्त वर्णित वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थी के नाम की प्रविष्ठि सुन्दरनाथ पुत्र जैसानाथ के स्थान पर सुण्डानाथ पुत्र जैसानाथ दुरूस्त किया जावें। प्रकरण में प्रार्थी के अनुतोष के संबंध में तहसीलदार, धोद के पत्रांकः भू.अ./2025/1253 दिनांक 09.07.2025 के द्वारा दुरूस्ती संबंधी रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेजात प्राप्त हुई। उक्त रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेजात आदि का अवलोकन किया। उक्त रिपोर्ट मुताबिक प्रार्थी के अनुतोष के अनुसार सही है। प्रार्थना–पत्र अ.धा. 136 एल आर एक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर किया जावें। अतः प्रार्थी का आवेदन तहसीलदार, धोद की उक्त रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम बोसाना पटवार हल्का बोसाना तहसील धोद जिला सीकर के खाता सं. (नया) 147 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थी के दादा के नाम की प्रविष्ठि सुन्दरनाथ पुत्र जैसानाथ के स्थान पर सुण्डानाथ पुत्र जैसानाथ दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। पूर्व की प्रविष्टि से किसी तरह की सरकारी, गैर सरकारी बकाया एवं उत्तरदायित्व हो तो उसके निर्वहन एवं अदायगी के लिए संबंधित खातेदार/प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे। तहसीलदार, धोद के पत्रांकः भू.अ./2025/1253 दिनांक 09.07.2025 के द्वारा प्राप्त दुरूस्ती संबंधी रिपोर्ट आदेश का अभिन्न अंग रहेगी। पालनार्थ तहसीलदार, धोद को लिखा जावें। आदेश सुनाया गया, जो आदेश में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी धोद जिला-सीकर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद * जिला-सीकर (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.07.23 09:07:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner